



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1362

दिनांक 20/10/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.530 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/42451/2020

- संदर्भ:-
- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-11/ 2020/ 10-2 दिनांक 27.08.2020.
 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स का पत्र क्र./1737/मु.का.अ./चिप्स/2020 दिनांक 12.10.2020.

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

दिनांक 09.10.2020 को प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 4 से 13 में वर्णित वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण सम्बन्धी गणना पत्रक अलग अलग नहीं दिया गया है।	वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण निर्धारित तालिका में तैयार कर परिशिष्ट -1 में संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के चेकलिस्ट क्र. 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 14. में केवल गैर वन क्षेत्र का रकबा दर्शाया गया है। ग्रामवार/खसरावार विस्तृत विवरण दर्ज नहीं है।	गैर वन क्षेत्र का विवरण Form-A, Part-I पर दर्शित है जो परिशिष्ट -2 में संलग्न है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वन मंडलाधिकारी कांकर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग-II में प्रदाय की गई है उक्त भाग-2 में केवल 4.144 हे. वन भूमि की अनुशंसा की गई है इसमें	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वन मंडलाधिकारी कांकर द्वारा प्रदाय की गई अनुशंसा भाग- II में त्रुटिवश राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं किया गया था जिसे

राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं है प्रस्ताव 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया वन मंडलाधिकारी कांकेर से सम्पूर्ण 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से सम्बंधित भाग -II में अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्तुत करे।	संशोधन कर सम्पूर्ण 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से सम्बंधित भाग- II में अनुशंसा प्रदाय किया है।
---	--

संलग्न:- उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
01/08/2020 छत्तीसगढ़

40



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 1737/ मुकाअ/चिप्स/2020

रायपुर, दिनांक 2/10/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),

अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक,

कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, (छत्तीसगढ़).

विषय : आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, रायपुर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.530 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ : 1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-829/1772 नवा रायपुर दिनांक 07.10.2020।

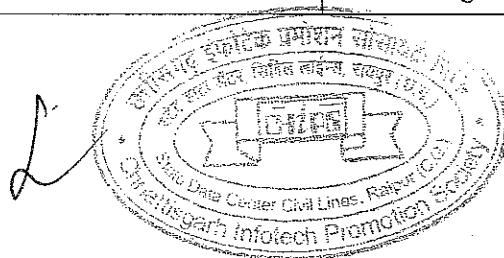
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2020/10-2 दिनांक 21.09.2020।

-00-

विषयान्तर्गत अवगत हो कि भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे आपके द्वारा अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है उसका विवरण निम्नानुसार है -

बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 4 से 13 में वर्णित वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण सम्बन्धी गणना पत्रक अलग अलग नहीं दिया गया है।	उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2020/10-2 दिनांक 21.09.2020 के बिंदु -3 में उल्लेखित 10 कॉलम मय तालिका अनुसार दर्ज करते हुए संलग्न किया जा रहा है।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 नवा रायपुर छद्म
 आवक क्र. 8/61
 दिनांक 15/10/2020

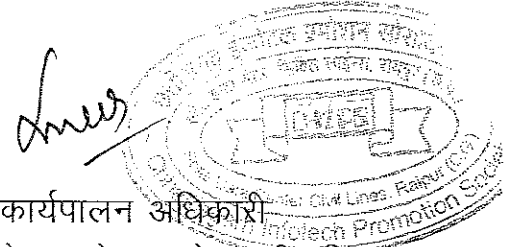
बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
2	प्रस्ताव के चेकलिस्ट क्र. 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 में केवल गैर वन क्षेत्र का रकबा दर्शाया गया है। ग्रामवार/खसरावार विस्तृत विवरण दर्ज नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न भाग-1 (पृष्ठ क्र. 46-49) में ग्रामवार वन क्षेत्र का विवरण का उल्लेख किया गया है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग-2 में प्रदाय की गई है उक्त भाग-2 में केवल 4.144 हे. वन भूमि की अनुशंसा की गई है इसमें राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं है प्रस्ताव 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया वन मंडलाधिकारी कांकेर से सम्पूर्ण 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से सम्बंधित भाग-2 में अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा प्रदाय की गई अनुशंसा भाग-2 में त्रुटिवश राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं किया गया था जिसे संशोधन कर सम्पूर्ण 4.530 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से सम्बंधित भाग-2 में अनुशंसा प्रदाय किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय वन मंडलाधिकारी कांकेर का पत्र क्र./मा.चि./1162, दिनांक 24.06.2020 संलग्न है। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

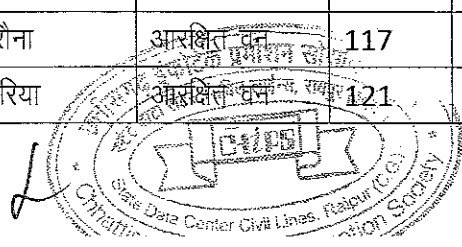
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।



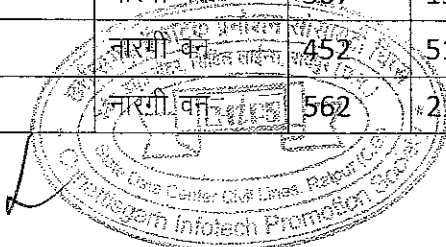
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कांकेर जिला के कांकेर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित वन क्षेत्र का विवरण									
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कांकेर	कांकेर	चारामा	हल्वा	आरक्षित वन	215	745.111	0.5	0.037
2			कांकेर	पटौद	आरक्षित वन	84	292.228	0.5	0.015
3			कांकेर	कुलगांव	आरक्षित वन	78	458.953	0.5	0.023
4			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	164	689.897	0.5	0.034
5			नरहरपुर	अमोड़ा	आरक्षित वन	170	514.420	0.5	0.026
6			नरहरपुर	झलियामारी	आरक्षित वन	171	510.959	0.5	0.026
7			नरहरपुर	सोनपुर	आरक्षित वन	163	3009.222	0.5	0.150
8			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	161	1290.886	0.5	0.065
9			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	204	371.572	0.5	0.019
10			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	169	813.083	0.5	0.041
11			नरहरपुर	देवगांव	आरक्षित वन	173	547.234	0.5	0.027
12			नरहरपुर	दबेना	आरक्षित वन	201	328.451	0.5	0.016
13			नरहरपुर	दबेना	आरक्षित वन	199	468.458	0.5	0.023
14			नरहरपुर	भिरौद	आरक्षित वन	157	946.150	0.5	0.047
15			नरहरपुर	सामतरा	आरक्षित वन	207	37.428	0.5	0.002
16			नरहरपुर	सामतरा	आरक्षित वन	158	639.270	0.5	0.032
17			नरहरपुर	जाममगांव	आरक्षित वन	211	646.433	0.5	0.033
19			नरहरपुर	जाममगांव	आरक्षित वन	196	993.247	0.5	0.050
20			नरहरपुर	भानसुली	आरक्षित वन	189	851.790	0.5	0.043
21			नरहरपुर	बादल	आरक्षित वन	187	370.859	0.5	0.019
22			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	148	627.085	0.5	0.031
24			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	147	291.377	0.5	0.015
25			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	146	207.414	0.5	0.010
26			सरौना	कुम्हारखार	आरक्षित वन	143	214.192	0.5	0.011
27			सरौना	ठेमा	आरक्षित वन	142	859.705	0.5	0.042
28			सरौना	खल्लारी	आरक्षित वन	144	903.864	0.5	0.044
29			सरौना	खल्लारी	आरक्षित वन	111	1278.691	0.5	0.064
30			सरौना	सरौना	आरक्षित वन	117	776.338	0.5	0.039
31			सरौना	चौरिया	आरक्षित वन	121	301.296	0.5	0.015

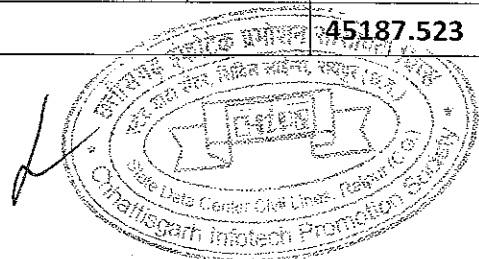


43

32			सरौना	दुधावा	आरक्षित वन	152	1051.872	0.5	0.053
33			सरौना	दुधावा	आरक्षित वन	153	1719.622	0.5	0.086
योग							22757.107	0.5	1.138
35	कांकेर	कांकेर	चारामा	किशनपुरी	संरक्षित वन	233	5801.131	0.5	0.291
39			चारामा	पुरी	संरक्षित वन	234	1413.459	0.5	0.071
40			चारामा	चपेली	संरक्षित वन	236	2826.906	0.5	0.141
41			चारामा	बडेगौरी	संरक्षित वन	225	684.711	0.5	0.034
42			नरहरपुर	नरहरपुर	संरक्षित वन	191	560.665	0.5	0.028
43			नरहरपुर	नरहरपुर	संरक्षित वन	182	2051.175	0.5	0.103
44			नरहरपुर	देवीनवागाव	संरक्षित वन	180	249.624	0.5	0.012
45			नरहरपुर	चौरिया	संरक्षित वन	123	1344.487	0.5	0.067
योग							14932.158	0.5	0.747
47	कांकेर	कांकेर	चारामा	कोटतरा	नारंगी वन	1468	1689.039	0.5	0.084
48			चारामा	कोटतरा	नारंगी वन	1470	1057.647	0.5	0.053
49			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1532	175.202	0.5	0.009
50			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1533	1038.613	0.5	0.052
51			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1534	262.377	0.5	0.013
52			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1489	568.804	0.5	0.028
53			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1490	242.273	0.5	0.012
54			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1509	787.771	0.5	0.039
55			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1521	658.022	0.5	0.033
56			चारामा	पुरी	नारंगी वन	1494	2342.979	0.5	0.117
57			चारामा	डोकला	नारंगी वन	1479	314.625	0.5	0.016
58			चारामा	चारामा	नारंगी वन	1473	175.966	0.5	0.009
59			चारामा	चारामा	नारंगी वन	1474	1168.944	0.5	0.058
60			चारामा	गोलकुम्हडा	नारंगी वन	1426	688.898	0.5	0.034
61			चारामा	लखनपुरी	नारंगी वन	1451	270.574	0.5	0.014
62			कांकेर	कुलगांव	नारंगी वन	387	247.345	0.5	0.012
63			कांकेर	कुलगांव	नारंगी वन	392	876.825	0.5	0.044
64			नरहरपुर	धौराभाठा	नारंगी वन	1411	234.083	0.5	0.012
65			नरहरपुर	धनेसरा	नारंगी वन	505	996.12	0.5	0.05
66			नरहरपुर	धनेसरा	नारंगी वन	507	154.418	0.5	0.008
67			नरहरपुर	बुदेली	नारंगी वन	452	512.701	0.5	0.026
68			नरहरपुर	कुरना	नारंगी वन	562	210.102	0.5	0.011

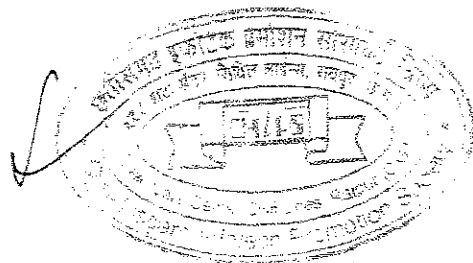


69			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	517	3263.723	0.5	0.163
70			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	528	490.816	0.5	0.025
71			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	1401	580.058	0.5	0.029
72			नरहरपुर	किशनपुरी	नारंगी वन	560	360.584	0.5	0.018
73			नरहरपुर	किशनपुरी	नारंगी वन	561	987.623	0.5	0.049
74			नरहरपुर	सामतरा	नारंगी वन	479	256.476	0.5	0.013
75			नरहरपुर	सुरही	नारंगी वन	593	1551.708	0.5	0.078
76			नरहरपुर	सुरही	नारंगी वन	1405	1325.588	0.5	0.066
77			नरहरपुर	डब्बीपानी	नारंगी वन	471	1252.218	0.5	0.062
78			नरहरपुर	दबेना	नारंगी वन	493	1598.629	0.5	0.08
79			नरहरपुर	दबेना	नारंगी वन	498	649.809	0.5	0.032
80			नरहरपुर	देवीनवागाव	नारंगी वन	574	1275.321	0.5	0.064
81			नरहरपुर	देवीनवागाव	नारंगी वन	577	1575.553	0.5	0.079
82			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	508	734.385	0.5	0.037
83			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	510	1862.984	0.5	0.093
84			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	514	354.954	0.5	0.018
85			नरहरपुर	चनार	नारंगी वन	449	708.08	0.5	0.035
86			नरहरपुर	चनार	नारंगी वन	450	409.064	0.5	0.02
87			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	472	3385.905	0.5	0.169
88			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	482	229.699	0.5	0.011
89			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	483	1317.377	0.5	0.066
90			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	484	266.16	0.5	0.013
91			नरहरपुर	नरहरपुर	नारंगी वन	590	2816.244	0.5	0.141
92			नरहरपुर	अमोड़ा	नारंगी वन	530	600.572	0.5	0.03
93			नरहरपुर	अमोड़ा	नारंगी वन	544	1100.113	0.5	0.055
94			सरौना	कुम्हारखार	नारंगी वन	408	113.988	0.5	0.006
95			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	427	375.412	0.5	0.019
96			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	428	569.334	0.5	0.028
97			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	429	316.937	0.5	0.016
98			सरौना	लेण्डारा	नारंगी वन	406	32.165	0.5	0.002
99			सरौना	लेण्डारा	नारंगी वन	412	152.716	0.5	0.008
योग							45187.523	0.5	2.259

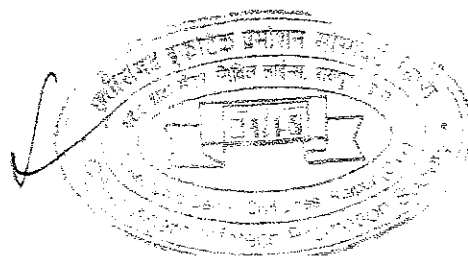


45

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कांकेर	कांकेर	चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	249	249.533	0.5	0.012
2			चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	322	98.663	0.5	0.005
3			चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	543	305.903	0.5	0.015
4			चारामा	कोटरा	राजस्व वन	1343	42.187	0.5	0.002
5			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	177	175.94	0.5	0.009
6			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	182	399.058	0.5	0.02
7			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	374	143.15	0.5	0.007
8			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	379	158.514	0.5	0.008
9			चारामा	पुरी	राजस्व वन	500	40.38	0.5	0.002
10			चारामा	पुरी	राजस्व वन	559	104.373	0.5	0.005
11			चारामा	डोकला	राजस्व वन	251	19.362	0.5	0.001
12			चारामा	चपेली	राजस्व वन	634	205.969	0.5	0.011
13			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1009	54.313	0.5	0.003
14			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1011	14.036	0.5	0.001
15			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1015	36.061	0.5	0.002
16			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1018	10.162	0.5	0.001
17			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1020	163.834	0.5	0.008
18			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1019/1	10.205	0.5	0.001
19			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1019/2	41.846	0.5	0.002
20			नरहरपुर	धौराभाठा	राजस्व वन	165	16.702	0.5	0.001
21			नरहरपुर	बांसपत्तर	राजस्व वन	89	300.32	0.5	0.015
22			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	84	216.036	0.5	0.011
23			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	780	169.814	0.5	0.008
24			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	785	67.716	0.5	0.003
25			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	786	24.553	0.5	0.001
26			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	787	22.254	0.5	0.001
27			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	793	65.54	0.5	0.003

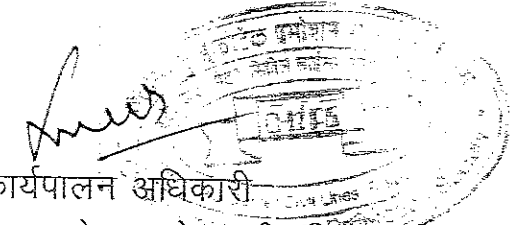


28			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	767/1	277.936	0.5	0.014
29			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	517	18.202	0.5	0.001
30			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	519	62.093	0.5	0.003
31			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	520	36.456	0.5	0.002
32			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	521	42.787	0.5	0.002
33			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	590	45.974	0.5	0.002
34			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	66	161.526	0.5	0.008
35			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	111	14.578	0.5	0.001
36			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	314/1	33.11	0.5	0.002
37			नरहरपुर	किशनपुरी	राजस्व वन	632	251.548	0.5	0.013
38			नरहरपुर	किशनपुरी(पैडो)	राजस्व वन	610	162.581	0.5	0.008
39			नरहरपुर	किशनपुरी(पैडो)	राजस्व वन	611	55.632	0.5	0.003
40			नरहरपुर	किशनपुरी(पैडो)	राजस्व वन	632	165.789	0.5	0.009
41			नरहरपुर	भिरौद	राजस्व वन	481	142.943	0.5	0.007
42			नरहरपुर	भानसुली	राजस्व वन	336/1	73.082	0.5	0.004
43			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	37	44.442	0.5	0.002
44			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	57	57.539	0.5	0.003
45			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	76	54.634	0.5	0.003
46			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	250	16.212	0.5	0.001
47			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	252	34.702	0.5	0.002
48			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	293	9.818	0.5	0.001
49			नरहरपुर	उमरदाह	राजस्व वन	159	30.445	0.5	0.002
50			नरहरपुर	उमरदाह	राजस्व वन	1063/1	524.863	0.5	0.026
51			नरहरपुर	देवीनवागाव	राजस्व वन	620	96.067	0.5	0.005
52			नरहरपुर	देवरीबलाजी	राजस्व वन	402	40.281	0.5	0.002
53			नरहरपुर	देवरीबलाजी	राजस्व वन	403	459.922	0.5	0.023
54			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	901	159.066	0.5	0.008
55			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	973	108.348	0.5	0.005
56			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	976	75.853	0.5	0.004



(47)

57			नरहरपुर	जाममगांव	राजस्व वन	385	366.437	0.5	0.018
58			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	232	111.956	0.5	0.006
59			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	700	12.504	0.5	0.001
60			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	1309	38.491	0.5	0.002
61			नरहरपुर	नरहरपुर	राजस्व वन	1375	69.849	0.5	0.003
62			नरहरपुर	नरहरपुर	राजस्व वन	1421	146.279	0.5	0.007
63			नरहरपुर	अमोडा	राजस्व वन	1271/1	132.215	0.5	0.007
64			नरहरपुर	लेण्डारा	राजस्व वन	155	192.877	0.5	0.01
65			नरहरपुर	लेण्डारा	राजस्व वन	763	153.747	0.5	0.008
योग							7637.208	0.5	0.386
कुल योग							90513.996	0.5	4.530


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (प्रा.)
रायपुर छत्तीसगढ़



48

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1769

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.53 ha. regarding पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/42451/2019

संदर्भ:-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ- 5-11/ 2020/ 10-2 दिनांक 27.08.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छाया प्रति (दो पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-826/1769

रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ-5-11/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for the Bharat Net Phase -II Kanker Division" Bharat Net project. which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 4.53 ha. regarding .

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1494, दिनांक 13.08.2020 ।

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 13 में वर्णित वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण संबंधी गणना पत्रक अलग-अलग नहीं दिया गया है।
 2. प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 में केवल गैर वन क्षेत्र का रकबा दर्शाया गया है ग्रामवार/खसरावार विस्तृत विवरण दर्ज नहीं है।
 3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वनमंडलाधिकारी कांकर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग-II में प्रदाय की गई है। उक्त भाग-II में केवल 4.144 है वन भूमि के व्यपर्वतन की अनुशंसा की गई है इसमें राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव 4.53 है वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित है। कृपया वनमंडलाधिकारी कांकर से संपूर्ण 4.53 है वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित भाग-II में अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- 2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

Regional
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमशः 2

५०

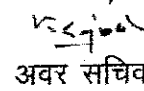
- 2 -

पृष्ठांकमांक एफ-5-11/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 - 4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

Kanker

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एक-5-11/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for the Bharat Net Phase-II Kanker Division" Bharat Net project. which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 4.53 ha. regarding .

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1494, दिनांक 13.08.2020 ।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 13 में वर्णित वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण संबंधी गणना पत्रक अलग-अलग नहीं दिया गया है।
2. प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 में केवल गैर वन क्षेत्र का रकबा दर्शाया गया है ग्रामवार/खसरावार विस्तृत विवरण दर्ज नहीं है।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग-II में प्रदाय की गई है। उक्त भाग-II में केवल 4.144 है वन भूमि के व्यपर्वतन की अनुशंसा की गई है इसमें राजस्व वन भूमि का उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव 4.53 हे. वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित है। कृपया वनमंडलाधिकारी कांकेर से संपूर्ण 4.53 हे. वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित भाग-II में अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

Kanker
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

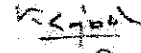
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांकनंक एक-5-11/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07863-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail: dfo@rediffmail.com

क्रमांक/मा.वि/2020/ 1162

कांकेर, दिनांक 24/06/2020

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fibre cable laying appeoximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 distict across the state, area - 4.530 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ : 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-826/870 नवा रायपुर दिनांक 11.05.2020 ।
2.आपका कार्यालयीन पत्र क्र.मा.वि/न.क.138/2020/2789 दिनांक 13.05.2020 ।

- -00- -

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से आपके द्वारा 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यवर्तन प्रस्ताव में नौडल कार्यालय के परीक्षण के उपरांत जो कमियां पाई गई है उन कमियों की पूर्ति की जा रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

बिंदु क्रमांक	पाई गई कमियां	कमियों की पूर्ति
1	Form A Part-II के कॉलम नं 4 निरंक है।	उक्त प्रस्ताव आवेदित वन भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के उपयोग हेतु प्रस्तुत की गई है जिसमे किसी भी प्रकार से वृक्ष के विदोहन नहीं किया जाना है अतः प्रजाति एवं गर्थ बढ़ज वृक्ष विदोहन की जानकारी ऑनलाइन Form A Part-II के कॉलम नं 4 में निरंक माना जावे।
2	Form A Part-II के कॉलम नं 16 के पार्ट - 2 में कुल वन क्षेत्र 4.144 हे. अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, उक्त रकबा को सुधारकर 4.53 हे. किया जाकर ऑनलाइन अपलोड किया जाना होगा।	ऑनलाइन Form A Part-II में कुल वन क्षेत्र 4.530 हे. अपलोड किया गया है जो कि सही है। प्रस्ताव के चेक लिस्ट -11 के भाग 2 में कुल वन क्षेत्र रकबा 4.144 हे. दर्शायी गई है, जो कि राजस्व वन भूमि के रकबा 0.386 हे. को 4.144 में अंकित नहीं किया गया है। संशोधन उपरांत $4.144 + 0.386 = 4.530$ हे. अपलोड किया गया है।

3	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण सम्बन्धी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाइन अपलोड नहीं किया गया है।	आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
4	छत्तीसगढ़ शासन, वनविभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-02/10-2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ. सी. लाइन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।	संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के उपरांत सुधार कर कमियों का संशोधन कर अपलोड किया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्रमांक a (ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण) तथा b (ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुसंधान) सम्बन्धी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlement of Right सम्बन्धी ग्रामसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। जिसमें जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 03.08.2009 का उल्लेख किया गया है। जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 28.10.2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for project for laying of Optical Fibre Cable are exempted from requirement of obtaining consent of the concern gramasabha. (Annex - 1,2 and 3) लिनियर प्रस्ताव जिसमें वृक्षों की कटाई कार्य नहीं किया जाना है। उसमें लागू नहीं होता है।
6	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में लेख अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर जिला सब. कार्केर के द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार पत्र धारक नहीं है।
7	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कार्केर वनमंडल में अलग अलग OFC लाइन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष क्रमांक को दर्ज करते कुल रकबा 4.530 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।	Chips द्वारा प्रस्तावित कार्केर वनमंडल, कुल रकबा 4.530 हे. में OFC Line का प्रकरण है जो ring system पर आधारित है अर्थात् जिस बिंदु से OFC Line प्रारंभ होती है उसी बिंदु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट

	कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाइन का निम्नानुसार विस्तृत वर्णन प्रदाय करे 1. प्रत्येक OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है। प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2. लाइन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा दर्शाया नहीं गया है।	3 में शामिल है तथा कांकर वनमण्डल में प्रस्तावित OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वनखंड वार तथा कक्ष वार विवरण सूचीबद्ध करते हुए संलग्न किया जा रहा है। (Annex - 4 and 5)
8	चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिंदु प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।	कृपया संलग्न आवरण पत्र क्रमांक/ मा.वि. /2020/524 दिनांक 28.02.2020 का अवलोकन हो। चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिंदु प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दिया गया है।

अतः बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक की चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.वि./2020/ 1163

प्रतिलिपि - प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (विप्स) रायपुर
छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
कांकर वनमण्डल कांकर
कांकर, दिनांक 24/06/2020

वन मण्डलाधिकारी
कांकर वन मण्डल कांकर

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42451/2019

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- i राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- ii जिला
- iii वन प्रभाग

O.F.C Line कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना

:- छत्तीसगढ़ शासन

:- उत्तर बस्तर कांकेर

:- वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आर. एफ. रकबा (हे.मै)	पी.एफ. रकबा (हे.)	ओ.ए. रकबा (हे.)	राजस्व वन रकबा (हे.मै)	कूल आवेदित रकबा (हे.मै)
1	चारामा	0.037	0.537	0.537	0.115	1.226
2	कांकेर	0.038	-	0.056	-	0.094
3	नरहरपुर	0.653	0.143	1.587	0.271	2.654
4	सरोना	0.410	0.067	0.079	-	0.556
योग		1.138	0.747	2.259	0.386	4.530

:- आरक्षित वन, संरक्षित वन, चारणी वन क्षेत्र

:- < 0.6

v वन की कानूनी स्थिति

vi हरियाली का धनत्व

vii प्रजातिवार (विज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. - 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. - 4 मीटर भी संलग्न की जाए)

:- प्रकरण में सड़क के समान्तर ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाई जावेगी, किसी प्रकार की वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।

viii नूकरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

:- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना प्रस्तावित स्थल सड़क के समान्तर समतल भूमि होने के कारण मृदा नूकरण होने की संभावना नहीं है।

xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।

:- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना में ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

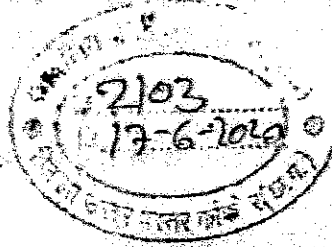
ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र/मू-प्रबंध/विविध/115-826/870

नया रायपुर, दिनांक 14/05/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़



विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.530 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. वि./ न. क्र. 138/ 2020 / 694 दिनांक 19.03.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:-

1. Form A Part-II के कालम नं. 4 निरंक है।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 के पार्ट-2 में कुल वन क्षेत्र 4.144 हे. अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, उक्त रकबा को सुधार कर 4.53 हे. किया जाकर ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
4. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-02/ 2020/ 10-2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाईन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।
प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधि प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक ए (ग्राम समा कार्यवाही विवरण) तथा बी (ग्राम समा की अनुरासा) संबंधि जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।
भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक एफ 11-9/98-एफ सी (पीटी) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form - I निर्धारित है तथा इस Form - I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्राम समा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।
5. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छाया प्रति भेजी जावे।

7. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वन मंडल में अलग-अलग OFC लाईन को प्रकरणों को एकजुट कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष को क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकमा 4.530 हे. वन भूमि को व्यापकता हेतु आवेदित किया गया है।
उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार है:-
(i) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
(ii) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकमा नहीं दर्शाया गया है।
8. चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिन्दु, प्रस्ताव का पुष्ट संल्लेख करते हुए टीप दी जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 की एक पृष्ठीय छाया प्रति।

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 11/05/2020

पृ. क्रमांक/मू-प्रबंध/विविध/115-826/871

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-02/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2020

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय- आवेदनकर्ता मैसर्स छत्तीसगढ़ इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 11.534 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115- 815/557, दिनांक 29.02.2020।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 A में भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग- 4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. a (ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्रामसभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F 11-9/98-FC(p1), दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।

3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनायति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।

APCCF (L/M)

APCCF

- 60
4. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमंडल में अलग-अलग OFC लाईन के प्रकरणों का एक्जाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा ₹ 534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :-

1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है।
2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा।
3. धमतरी वनमंडल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिंदु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विवरणित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है।

2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

Kejriwal
(के.पी.राजपूत) 15-4-2020
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक /04/2020

पृष्ठांकमांक एफ-5-02/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मृ-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भव, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डेटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

61

56

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Kanker	4.53	27.373

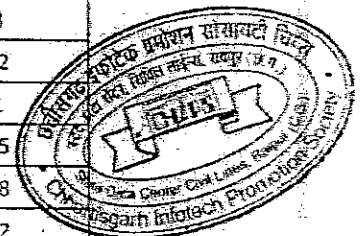
B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Aakheeharra	0	0.385
2	Abhanpur	0	0.19
3	Amoda	0.007	0.561
4	Anwari	0	0.195
5	Amora	0.111	0
6	Aroud	0	0.137
7	Babusalthetola	0	0.195
8	Badal	0.059	0.361
9	Badegauri	0.066	0.266
10	Bagdongri	0	0.351
11	Bandatola	0	0.397
12	Bangabari	0	0.142
13	Bansagar	0	0.122
14	Basanwahi	0	0.153
15	Basnawahi	0	0.2
16	Baspattar	0.015	0.069
17	Bhaisamundi Gagra	0	0.089
18	Bhanpuri	0	0.383
19	Bhansuli	0.047	0.141
20	Bharitola	0	0.132
21	Bhilai	0	0.158
22	Bhiraud	0.054	0.19
23	Bhiroad	0	0.01
24	Bhotha	0	0.301
25	Bihawapara	0	0.205
26	Biranpur	0	0.189
27	Budeli	0.026	0.35
28	Chanar	0.071	0.175
29	Charam	0.067	0.004
30	Charama	0.018	0.379
31	Charbhatha	0	0.292
32	Charbhatti	0	0.062
33	Chavadi	0	0.16
34	Chawad	0	0.165
35	Chinori	0	0.26
36	Choriya	0.082	0.192
37	Chapeli	0.151	0
38	Dabhinari	0.001	0.001

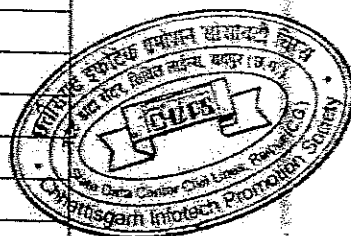


39	Dabena	0.151	0.254
40	Dargahan	0	0.207
41	Dawarkhar	0.056	0.019
42	Dedkohaka	0	0.194
43	Devinavagaon	0.16	0.133
44	Dewaribalejee	0	0.769
45	Dewdangar	0	0.157
46	Dewgoan	0.175	0.547
47	Dhanesara	0.217	0.16
48	Khallari	0.109	0
49	Dhanora	0	0.163
50	Dhaurabhata	0	0.125
51	Dhekuna	0	0.233
52	Dokla	0.017	0.054
53	Dompadar	0	0.379
54	Dudhawa	0.158	0.265
55	Dumarpani	0	0.409
56	Dhudhawa	0.044	0
57	Dhaurabhata	0.035	0
58	Deoribalaji	0.025	0
59	Gandagauri	0	0.129
60	Ghotiyawahi	0	0.336
61	Girhola	0	0.396
62	Gitpahar	0	0.015
63	Golkumhada	0.014	0.053
64	Gotitola	0	0.344
65	Gidhali	0.157	0
66	Halbaa	0.037	0.352
67	Haradula	0	0.139
68	Jaisakarra	0	0.116
69	Jamgoan	0.36	0.125
70	Jepra	0	0.223
71	Junwani	0.009	0.223
72	Jhaliyamari	0.026	0
73	Kahadgondi	0	0.151
74	Kanapond	0	0.633
75	Kanhanpuri	0.033	0.48
76	Karap	0	0.062
77	Kariha	0	0.31
78	Kasawahi	0	0.125
79	Katagaon	0	0.168
80	Khairkheda	0	0.202
81	Khartha	0	0.279
82	Kilepar	0	0.114
83	Kisanpuri	0.432	0.62
84	Kishanpuri	0	0.021
85	Kotela	0	0.175
86	Kottara	0.055	0.117

47



88	Kuralthemali	0	0.293
89	Kurna	0.011	0.206
90	Kurmutola	0	0.122
91	Kurubhat	0	0.144
92	Kulgaon	0.079	0
93	Lakhanpuri	0.084	0.077
94	Largoanm	0	0.125
95	Lendara	0.028	0.027
96	Lilejhar	0	0.014
97	Mahud	0	0.207
98	Mainpur	0	0.115
99	Malgoan	0	0.237
100	Mandabhami	0	0.126
101	Mandaradaraha	0	0.049
102	Manikpur	0	0.153
103	Marampani	0	0.27
104	Markatola	0	0.358
105	Marwadi	0	0.354
106	Masulpani	0.265	0.235
107	Mawalipara	0	0.274
108	Mayana	0	0.09
109	Mudapar	0	0.33
110	Musuraputta	0	0.325
111	Narharpur	0.36	0.913
112	Paleva	0	0.1
113	Pandripani	0	0.069
114	Parsoda	0	0.296
115	Pipraod	0	0.175
116	Patoud	0.015	0
117	Puri	0.195	0.15
118	Ranidongari	0	0.038
119	Risewada	0	0.041
120	Shamtra	0.047	0
121	Salhebhat	0	0.148
122	Salhetola	0	0.197
123	Saradhunawagoan	0	0.12
124	Saraimunda	0	0.238
125	Sarona	0.039	0.387
126	Sarwandi	0	0.192
127	Shahwada	0	0.002
128	Shamtara	0	0.353
129	Shriguhari	0	0.311
130	Sirsida	0	0.001
131	Suthi	0.041	0.184
132	Sonpur	0.162	0
133	Tanhhakar	0	0.052
134	Tarasgoan	0	0.006
135	Telgara	0	0.02



137	Thanabodi	0	0.247
138	Udkuda	0	0.06
139	Umradah	0.028	0.36

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	ofc	4.53	27.373

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Kanker		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 4.53		
(ii). : Linear		
(b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	4.53	 View File
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 		
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:
No

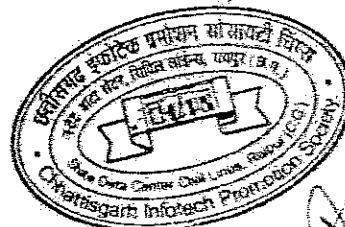
(a). Reason for not providing such map NIL

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: No

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No



वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42451/2019

I. परियोजना / स्कीम का स्थान

i राज्य/ संघ शासित क्षेत्र

:- छत्तीसगढ़

ii जिला

:- उत्तर बस्तर कांकेर

iii वन प्रभाग

:- कांकेर वन मंडल कांकेर, परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना

iv वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आर एफ रकबा (हे.)	पी.एफ रकबा (हे.)	ओ.ए. रकबा (हे.)	राज. वन रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
1	चारामा	0.037	0.537	0.537	0.115	1.226
2	कांकेर	0.038	--	0.056	--	0.094
3	नरहरपुर	0.653	0.143	1.587	0.271	2.654
4	सरोना	0.410	0.067	0.079	--	0.556
योग		1.138	0.747	2.259	0.386	4.530

v वन कानूनी स्थिति

:- आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन, राजस्व वनभूमि

vi हरियाली का घनत्व

:- < 0.6

vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।

:- प्रकरण में सड़क के सामानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जावेगी, किसी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।

viii भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

:- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना प्रस्तावित स्थल सड़क के सामानांतर भूमि होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।

ix वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

:- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही भाग है।

x क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)

:- नहीं।

